


फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

नाम / विना नं0

संख्या : 10/2024 (197)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18 ⁹ / ₂₄	पत्रावली प्रस्तुत। व. फ. उप। पत्रावली द्वारा कुरैनात रिपोर्ट हेतु दिनांक 16 ¹⁰ / ₂₄ को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
16 ¹⁰ / ₂₀₂₄	पत्रावली प्रस्तुत। व. फ. उपस्थित। तहसीलदार रामपुरा-डाबडी को सख्त हिदायत के साथ फु। तहसीर जारी है। पत्रावली वास्तु कुरैनात दिनांक 13/11/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
13 ¹¹ / ₂₀₂₄	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वादी एवं उतिवासीगण उपस्थित। तहसीलदार रामपुरा-डाबडी जयपुर द्वारा एक अन्य वाद संख्या 70/2023 बडनवानी पांचूरान बनाम अंजू देवी एवं इस पत्र 80/2023 बडनवानी नारंगी बनाम कृषी देवी में एकरा कुरैनात रिपोर्ट प्रस्ताव भेजे गये हैं। ऊपर अधिवक्तागण ने सहमती देकर उक्त दोनों वादों को हमफिता (एकरा) करके हेतु निवेदन किया। सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर करवाये गये। अतः सहमती के आधार इस पत्रावली को वाद संख्या 77/2023 बडनवानी पांचूरान बनाम अंजू देवी के साथ हमफिता किया जाता है। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	<p>तहसीर जारी 9/31 16/10/24</p> <p>करीब मो. 9800111322 S.S. Sunde 13-11-2024</p> <p>अ. नि. कृषी देवी</p> 

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या - 77/2023 व 80/2023

पांचूराम पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण, निवासी बोहरा की ढाणी, वार्ड नंबर 70, ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... वादी

बनाम

1. अंजू देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जाट, निवासी ऑफिसर्स कैम्पस, वैशाली नगर, जयपुर।
2. भगवान सहाय पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण, निवासी बोहरा की ढाणी, वार्ड नंबर 70, ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र शिशपाल सिंह जाति जाट, निवासी बगड जाटावास, जिला झुन्झुनू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :- (1) श्री एस. एस. सुण्डा अधिवक्ता - वादी की ओर से

(2) श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता- प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

दिनांक 13.11.2024



प्रकरण में अन्य वाद संख्या 80/2023 बउनवानी नारंगी बनाम रुडी देवी हमफिता होने के कारण दोनो वादो का एकजाई निर्णय किया गया। हस्तगत वाद संख्या 77/2023 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम नांगल सिरस, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 178 रकबा 1.6600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 179 रकबा 1.5000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.1600 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 निहित है, तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण सह-हिस्सेदार सह-खातेदार दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त निरंतर करते चले आ रहे हैं और अपने-अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादीगण बिना विभाजन करवाये नाजायत

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

कब्जा करने पर उतारू है अतः बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1, 6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 की बहस सुनी जाकर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार रामपुरा डाबडी को कुर्रेजात हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा एक अन्य वाद संख्या 80/2023 बउनवानी नारंगी बनाम रूडीदेवी एवं इस पत्रावली 77/2023 बउनवानी पांचूराम बनाम मंजूदेवी में एकजाई कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त अन्य वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अतिरिक्त वाद संख्या 80/2023 वाके ग्राम नांगल सिरस, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 180 रकबा 1.6700 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.6700 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें वादिया का हिस्सा 1/3 निहित है, तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में वादिया व प्रतिवादीगण सह-हिस्सेदार सह-खातेदार दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काशत निरंतर करते चले आ रहे हैं और अपने-अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। विवाद अंतिम रूप से दिनांक 20.08.2023 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादिया को विवादित भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने पर उतारू है। अतः वाद अलग अलग हिस्सा कायम कर अंतिम डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण की विधिवत तलवी की गई तदुपरान्त उभयपक्ष की बहस सुन कर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार रामपुरा डाबडी को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने वाद संख्या 77/2023 बउनवानी पांचू बनाम अंजू एवं वाद संख्या 80/2023 बउनवानी नारंगी बनाम रूडीदेवी एकजाई कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अन्य वाद संख्या 80/2023 बउनवानी नारंगी बनाम रूडीदेवी को हमफिता किया गया। इस संबंध में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने दोनो पत्रावलीयों का एकसाथ निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दोनो वादो को डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

1. अंजू देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह हिस्सा 625/1053 जाति जाट, राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र शिशपाल सिंह हिस्सा 428/1053 जाति जाट के हिस्से खसरा नंबर 178/1 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 179/1 रकबा 0.5068

★
सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर



- हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.1068 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
2. पांचूराम पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण, राहिन आरएमजीबी जयरामपुरा, भगवान सहाय पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण राहिन आर एम जी बी जयरामपुरा के हिस्से खसरा नंबर 178/2 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 179/2 रकबा 0.9932 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0532 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
 3. राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र शिशपाल सिंह हिस्सा संपूर्ण जाति जाट के हिस्से खसरा नंबर 180/1 रकबा 0.4470 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.4470 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हल्का भूरा रंग से दर्शाया गया है।
 4. नारंगी पत्नी पांचूराम हिस्सा 1113/2446 जाति ब्राह्मण राहिन आरएमजीबी जयरामपुरा, रूडी पत्नी भगवान सहाय हिस्सा 1113/2446 जाति ब्राह्मण राहिन आरएमजीबी जयरामपुरा, राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र शिशपाल सिंह हिस्सा 110/1223 जाति जाट के हिस्से खसरा नंबर 180/2 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/3 रकबा 0.0430 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2230 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में गहरे भूरे रंग से दर्शाया गया है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी अंजू वर्मा (आर.ए.एस)

पांचूराम पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण, निवासी बोहरा की ढाणी, वार्ड नंबर 70, ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... वादी

बनाम

1. अंजू देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जाट, निवासी ऑफिसर्स कैम्पस, वैशाली नगर, जयपुर।
2. भगवान सहाय पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण, निवासी बोहरा की ढाणी, वार्ड नंबर 70, ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र शिशपाल सिंह जाति जाट, निवासी बगड जाटावास, जिला झुन्झूनू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 13.11.2024



मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

1. अंजू देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह हिस्सा 625/1053 जाति जाट, राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र शिशपाल सिंह हिस्सा 428/1053 जाति जाट के हिस्से खसरा नंबर 178/1 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 179/1 रकबा 0.5068 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.1068 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
2. पांचूराम पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण, राहिन आरएमजीबी जयरामपुरा, भगवान सहाय पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण राहिन आर एम जी बी जयरामपुरा के हिस्से खसरा नंबर 178/2 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 179/2 रकबा 0.9932 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0532 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
3. राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र शिशपाल सिंह हिस्सा संपूर्ण जाति जाट के हिस्से खसरा नंबर 180/1 रकबा 0.4470 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.4470 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हल्का भूरा रंग से दर्शाया गया है।
4. नारंगी पत्नी पांचूराम हिस्सा 1113/2446 जाति ब्राह्मण राहिन आरएमजीबी जयरामपुरा, रुडी पत्नी भगवान सहाय हिस्सा 1113/2446 जाति ब्राह्मण

प्रकरण संख्या - 77/2023 व 80/2023
बउनवानी - पांचूराम बनाम अंजू देवी एवं ~~नांजी~~ बनाम रूडीदेवी
निर्णय दिनांक :- 13.11.2024

राहिन आरएमजीबी जयरामपुरा, राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र शिशपाल सिंह हिस्सा 110/1223 जाति जाट के हिस्से खसरा नंबर 180/2 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/3 रकबा 0.0430 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.2230 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में गहरे भूरे रंग से दर्शाया गया है।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 13.11.2024 को जारी किया।

दस्तख्त —

ओहदा —



★

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. अ. मु. 0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	-
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		